

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर


क्रमांक :- एफ 3/मु./याता./निरी./15/474

दिनांक: 04/09/15

समस्त मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम,
..... आगार

विषय : मुख्य प्रबन्धकों द्वारा स्वयं के आगारीय क्षेत्र में निरीक्षण
करने बाबत।

सभी मुख्य प्रबन्धकों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं के आगार
क्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को सायं 07:00 से 10:00 बजे तक आगारीय
मुख्यालय/शहर से बाहर जाने वाली एवं प्रत्येक सोमवार को प्रातः 06:00 से 10:00 बजे
तक आस-पास के प्रमुख मार्गों से आगारीय मुख्यालय/शहर में प्रवेश करने वाली वाहनों
का सघन निरीक्षण करेंगे, जिससे हो रहे राजस्व रिसाव पर अंकुश लगाया जा सके।
उक्त आदेशों की पालना कठोरता से की जावें।



(राकेश राजोरिया)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक :- एफ 3/मु./याता./निरी./15/474

दिनांक: 04/09/15

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रा0प0निगम, मु0 जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष..... रा0प0निगम, मु0 जयपुर।
3. आदेश पत्रावली।


कार्यकारी प्रबन्धक (संस्था/यातायात)